Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 120–2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 25, 2020 (BHADRA 3, 1942 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 25th August, 2020

No. 27-HLA of 2020/71/11540.— The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment and Validation) Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :–

Bill No. 27–HLA of 2020

THE HARYANA DEVELOPMENT AND REGULATION OF URBAN AREAS (SECOND AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 2020

A

BILL

further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

Be it enacted by the Legislature of State of Haryana in the Seventy-first year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment and Validation) Act, 2020.

(2) It shall come into force on such date, as the Government may, by notification in the Official Gazette, specify.

Amendment of Section 3 of Haryana Act 8 of 1975.

2. In section 3 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (hereinafter called the principal Act),–

(i) in sub-section (2),–

(a) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:–

"(d) the layout of a colony in case application for a colony is proposed to be divided into plots;";

(b) clause (e) shall be omitted;

(ii) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 30th January, 1975, namely:–

"(3A) Where, by virtue of any section of this Act, power to grant any licence or issue any notification, order, rule or direction is conferred, then that power shall include power exercisable in like manner and subject to terms and conditions, as may be prescribed, to add to, amend, vary, suspend, withdraw or rescind such licence or such notification, order, rule or direction or to de-licence.".

Amendment of section 7A of Haryana Act 8 of 1975.

3. In section 7A of the principal Act,–

(i) for the words "lease any agricultural land" and "two kanals", the words "lease or gift any vacant land" and "one acre" shall respectively be substituted; and

(ii) for the existing Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:–

"Explanation.— 'vacant land' shall means such land wherein either no construction of any nature exists or such construction is in existence which is either uninhabited or not fit for human habitation and stands constructed without following the due course of law.**".**

Validation

4. Notwithstanding any judgment, decree or order of any court or tribunal or any authority, any action taken or orders issued, things done or purporting to have been taken or done relating to sub-section (3A) of section 3 by the Director, before the commencement of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment and Validation) Act, 2020, shall be deemed to be as valid and effective as if such action, approval, orders were issued or actions taken or done in accordance with the provisions of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment and Validation) Act, 2020.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill has been proposed primarily to make express statutory provisions to clarify certain provisions of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 by drawing upon the laid down law in provisions of Section–21 of the General Clauses Act, 1897 and Section–20 of the Punjab General Clauses Act, 1956 and to validate various actions taken and being taken by the Department as a consequence which would have the effect of reconciling the conflicting judicial pronouncements on the issue. Therefore, a new Sub–section (3a) in conformity with the provisions in above said enactments is proposed to be inserted in the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975. The proposals to delete clause (e) of Sub–section (2) of Section (3) and Substitution of clause (d) of Sub–section (2) of Section (3) seek to remove the twin redundant requirements at the time of enquiry by the Director under Section 3 in case of all colonies and non–plotted colonies respectively.

The existing provisions of 'two Kanals' and 'agriculture land' requiring NOC before registration of land in the areas notified under Section–7A are proposed to be replaced by 'one acre' and 'vacant land' respectively in order to provide for an effective deterrence against unauthorized colonization. Requirement of NOC for transfer through gift deed has also been included with the same objective.

Hence the Bill.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 25th August, 2020.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2020 का विधेयक संख्या 27 एच.एल.ए.

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन
(द्वितीय संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020
हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975,
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।

(2) यह ऐसी तिथि, जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, से लागू होगा।

1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 3 का संशोधन।

2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में,—

(i) उप–धारा (2) में, —

(क) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(घ) उपनिवेश का अभिन्यास, यदि किसी उपनिवेश के लिए आवेदन, भू–खण्डों में विभाजित करने हेतु प्रस्तावित किया जाता है ;'';

(ख) खण्ड (ङ) का लोप कर दिया जाएगा ;

(ii) उप–धारा (3) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा रखी जाएगी तथा 30 जनवरी, 1975 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

''(3क) जहाँ, इस अधिनियम की किसी धारा के फलस्वरूप, कोई अनुज्ञप्ति प्रदान करने या कोई अधिसूचना, आदेश, नियम या निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है, तो उस शक्ति में, ऐसी अनुज्ञप्ति या ऐसी अधिसूचना, आदेश, नियम या निर्देशों में परिवर्धन करने, संशोधन करने, बदलाव करने, निलम्बन करने, वापिस लेने या विखण्डित करने, या अनुज्ञप्ति रद्द करने के लिए ऐसी रीति और ऐसे निबन्धन तथा शर्तें, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन प्रयोज्य शक्ति भी शामिल होगी।''।

1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 7क का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 7क में, —

(i) ''दो कनाल से कम क्षेत्र रखने वाली किसी कृषि भूमि के विक्रय या पट्टे" शब्दों के स्थान पर, "एक एकड़ से कम क्षेत्र रखने वाली किसी खाली भूमि के विक्रय या पट्टे या उपहार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; तथा

(ii) विद्यमान व्याख्या के स्थान पर, निम्नलिखित व्याख्या प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''**व्याख्या.—** 'खाली भूमि' से अभिप्राय होगा, ऐसी भूमि, जिसमें या तो किसी प्रकार का कोई निर्माण विद्यमान नहीं है या ऐसा निर्माण विद्यमान है, जो या तो वीरान है या मानव के वासयोग्य नहीं है तथा विधि के सम्यक् अनुक्रम को अपनाए बिना निर्मित किया गया है।''।

विधिमान्यकरण।

4. किसी न्यायालय या अभिकरण या किसी प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2020 के प्रारम्भ से पूर्व, धारा 3 की उप–धारा (3क) के संबंध में निदेशक द्वारा की गई कोई कार्रवाई या जारी किए गए आदेश या की गई कोई बात या की जाने के लिए आशयित कोई कार्रवाई या आदेश या कोई बात, ऐसे ही वैध तथा प्रभावकारी समझी जाएगी मानो हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2020 के उपबन्धों के अनुसार ऐसी कार्रवाई, अनुमोदन, आदेश जारी किए गए थे।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

मुख्यतया, हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 के कुछ प्रावधानों के बारे में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 एवं पंजाब साधारण खंड अधिनियम, 1956 की धारा 20 के अतंर्गत स्थापित कानूनी प्रावधानों के संज्ञान में, स्पष्ट वैधानिक प्रावधान करने हेतु तथा कुछ प्रावधानों के बारे में स्पष्टीकरण हेतु वर्तमान विधेयक प्रस्तावित है, जिसके फलस्वरूप, परस्पर विरोधाभाषी न्यायिक निर्णयों से उतपन्न स्थिति में सामंजस्य स्थापित होगा। अतः उपरोक्त अधिनियमों की धाराओं के अनुरूप हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 में एक नई उपधारा 3क को समायोजित करना प्रस्तावित है। धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ड़) को हटाने तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (घ) के संशोधन का प्रस्ताव जोकि क्रमशः सभी कॉलोनियों तथा प्लाटिड के अलावा कॉलोनियों के बारे में है, धारा 3 के तहत निदेशक द्वारा जांच करने हेतु जो प्रावधान निरर्थक हो चुके हैं, उनको हटाने के लिए प्रस्तावित है।

धारा 7क के अधीन अधिसूचित क्षेत्र में भूमि के रजिस्ट्रेशन से पूर्व अपेक्षित एन०ओ०सी० 'दो कनाल' तथा 'कृषि भूमि' के विद्यमान उपबन्धों को अप्राधिकृत कॉलोनियों के विरूद्ध कारग़र निवारण करने के लिए उपबन्ध करने के उद्देश्य से 'एक एकड़' तथा 'रिक्त भूमि' द्वारा बदला जाना प्रस्तावित है। गिफट–डीड के माध्यम से अन्तरण के लिए एन०ओ०सी० की अपेक्षा को भी उसी उद्देश्य से शामिल किया गया है।

अतः विधेयक।

मनोहर लाल,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 25 अगस्त, 2020.

आर० के० नांदल,
सचिव।